निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 297) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 फरवरी 2016

सं0 22 नि0 सि0 (मोति0)–08–04/2008/254––श्री श्याम बिहारी राम, (आई0 डी0–3489), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के विरूद्ध श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के क्रम में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि श्री झूलन प्रसाद श्रीवास्तव, कनीय अभियंता द्वारा सेवानिवृति के पूर्व से ही प्रभार सौंपने हेतु प्रयास किया गया था, परन्तु प्रभार हस्तान्तरण हेतु केवल आदेश निर्गत कर मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया गया। अपने आदेश का अनुपालन न करने वाले कनीय अभियंता एवं भंडारपाल पर कोई कार्रवाई न करना, दायित्व निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही तथा श्री श्रीवास्तव द्वारा चोरी की घटना के संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बावजूद भी श्री राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई आदि कतिपय प्रथम दृष्टया आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1624 दिनांक 02.11.10 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री राम अपने पत्रांक 551 दिनांक 09.04.11 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल का प्रभार सौंपने में अभिरूचि नहीं लेने का आरोप अप्रमाणित पाया गया। किन्तु प्रमण्डल में हुई चोरी एवं इसके लिए दर्ज प्राथमिकी की सूचना नहीं होने एवं कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप श्री राम के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया है। सहायक अभियंता

द्वारा चोरी की घटना तथा प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना कार्यपालक अभियंता को दी गई थी। अतः चोरी की सूचना प्राप्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना श्री राम के कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।

उक्त प्रमाणित आरोपों की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध सेवानिवृति तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा ली गई है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री श्याम बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ को निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है–

''सेवानिवृति तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड''।

उक्त दण्ड श्री राम को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 297–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in